

मध्यप्रदेश विधान सभा

अगस्त-सितम्बर, 2001 सत्र

गुस्वार, दिनांक 20 सितम्बर, 2001 §भाद्र 29, 1923§

की अनुपूरक कार्य-सूची.

कार्य सूची के पद क्रमांक 5: "शासकीय विधि विषयक कार्य" के उप पद क्रमांक §1§ के पश्चात् निम्नलिखित उप पदों को और जोड़कर पढ़ा जाय, अर्थात् :-

§2§ श्री धनश्याम पाटीदार, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन, मध्यप्रदेश मंत्री §वेतन तथा भत्ता§ संशोधन विधेयक, 2001 §क्रमांक 23 सत्र 2001§ के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

§3§ श्री हनुम सिंह कराड़ा, ऊर्जा मंत्री, मध्यप्रदेश उपकर §द्वितीय संशोधन§ विधेयक, 2001 §क्रमांक 24 सत्र 2001§ के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

कार्य सूची के वर्तमान उप पद क्रमांक §5§ के पश्चात् निम्नलिखित उप पदों को और जोड़कर पढ़ा जाय, अर्थात् :-

§6§ श्री हजारीलाल रघुवंशी, संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष तथा विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा शैक्षणिक विधि संशोधन विधेयक, 2001 §क्रमांक 22 सत्र 2001§ पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

§7§ श्री धनश्याम पाटीदार, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश मंत्री §वेतन तथा भत्ता§ संशोधन विधेयक, 2001 §क्रमांक 23 सत्र 2001§ पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

§8§ श्री हनुम सिंह कराड़ा, ऊर्जा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश उपकर §द्वितीय संशोधन§ विधेयक, 2001 §क्रमांक 24 सत्र 2001§ पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

इस पद में उक्त समस्त उप पदों को जोड़े जाने के पश्चात् सभी उप पदों को पुनःक्रमांकित कर उप पद क्रमांक §1§ से §10§ के रूप में पढ़ा जाय।

भीषाल :
दिनांक : 20 सितम्बर, 2001।

डॉ० ए.के.पयासी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा